

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक:-03.02.2021

थाना परसरामपुर पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 440 लीटर रेक्टिफाईड स्प्रिट (अपमिश्रित जहरीली शराब, कीमत करीब पाँच लाख रुपये)

किया गया बरामद -

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक परसरामपुर श्री राजेश कुमार मिश्र मय टीम, व आबकारी टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर छपिया मार्ग पर ढेबरिया शुक्ल गांव के पास नारायणपुर मदरसा के पास से आल्टो कार से रेक्टिफाईड स्प्रिट (अपमिश्रित जहरीली शराब) बेचने के लिए गोण्डा से बिहार जा रहे दो अभियुक्तों को आज दिनांक 03.02.2021 को समय 09.05 बजे छपिया मार्ग नारायणपुर मदरसे के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्तों के पास से 440 लीटर रेक्टिफाईड स्प्रिट (अपमिश्रित जहरीली शराब) बरामद किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना परसरामपुर पर मु0अ0सं0 35/2021 धारा 60 (क)/ 62 / 63 आबकारी अधिनियम व 272, 273 IPC व 3/181, 39/192, 194, 196, 207 MV Act पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. विकाश सिंह पुत्र राम बुझारत सिंह निवासी डहवा बाबू थाना हरैया जनपद बस्ती।
2. हरीश जयसवाल पुत्र संत राम जयसवाल निवासी वीरपुर विसयन रूपई डीहा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरण:-

1. 440 लीटर रेक्टिफाईड स्प्रिट (अपमिश्रित जहरीली शराब, कीमत करीब पाँच लाख रुपये)
2. एक मारूती आल्टोकार सफेद रंग की नं0 – UP 43 H 0281
3. 6700 रु नगद ।
4. चार अदद एंड्रायड मोबाइल

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में विकाश सिंह ने बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है जो गोंडा से रेक्टिफाईड स्प्रिट लेकर उसे बिहार और कुशीनगर तथा अन्य जिलों में बेचते हैं, इस गिरोह में हम लोगों के अतिरिक्त गोंडा व बिहार के लोग भी शामिल हैं। हम लोग कई महिनों से इस धन्धे में लिप्त हैं हमलोग कई बार पहले भी बिहार जाकर शराब बेचते थे, आज भी हम लोग बेचने जा रहे थे कि पकड़ लिया गया। यह कार्य हम लोग अपने आर्थिक भौतिक लाभ के लिए करते हैं। बिहार में शराब बन्दी लागू है इस लिए वहां बेचने से अच्छा पैसा मिल जाता है। यह अपमिश्रित स्प्रिट गोण्डा जिले से कुशीनगर व बिहार बार्डर पर सप्लाई देना था। हम दोनों लोग सप्लाई देने का कार्य करते है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक परसरामपुर श्री राजेश मिश्र
2. निरीक्षक आबकारी श्री संजय कुमार मय टीम
3. वरि0उ0नि0 श्री कन्हैया पाण्डेय
4. उ0नि0 श्री राजीव सिंह, श्री संजय कुमार यादव थाना परसरामपुर जनपद बस्ती
5. कां0 सतीश सिंह थाना परसरामपुर जनपद बस्ती